

भारत में काला धन और उसके नरिधारण की कठनाइयाँ

संदर्भ

हाल ही में वित्त पर स्थाई समिति (Standing Committee on Finance) ने देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काले धन से संबंधी एक रपॉर्ट जारी की है जिसमें नषिकर्ष के तौर पर यह बताया गया है कि हमारे पास भारत या वदेश में उपलब्ध काले धन की मात्रा को नरिधारित करने का कोई वशि्वसनीय तरीका मौजूद नहीं है।

क्या होता है काला धन?

अर्थशास्त्र में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है, कुछ लोग इसे समानांतर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं तो कुछ इसे काली आय, अवैध अर्थव्यवस्था और अनयिमित अर्थव्यवस्था जैसे नामों से भी पुकारते हैं। यदिसरल शब्दों में इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो कहा जा सकता है कि संभवतः काला धन वह आय होती है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है। काले धन को मुख्यतः दो श्रेणियों से प्राप्त किया जा सकता है:

1. गैर कानूनी गतिविधियों से, और
2. कानूनी परंतु असूचित गतिविधियों से।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों में पहली श्रेणी ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि जो आय गैर-कानूनी गतिविधियों से कमाई जाती है। वह सामान्यतः कर अधिकारियों से छुपी होती है और इसलिये उसे काला धन कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में उस आय को सम्मिलित किया जाता है जो कमाई तो कानूनी गतिविधियों से जाती है, परंतु उसके बारे में कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिये मान लेते हैं कि यदि ज़मीन के एक टुकड़े को बेचा जाता है और उसका 60 प्रतिशत भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है तथा शेष 40 प्रतिशत भुगतान नकद, ऐसी स्थिति में यदि वह राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर विभाग को मात्र 60 प्रतिशत की ही जानकारी देता है और शेष 40 प्रतिशत को छुपा लेता है तो इसे दूसरी श्रेणी से प्राप्त काला धन कहा जाएगा। देश भर में लगभग सभी छोटी दुकानें नकद में ही व्यापार करती हैं, जिसके कारण पारदर्शी रूप से उनके लाभ की गणना करना काफी कठिन होता है।

इसे मापना इतना कठिन क्यों है?

- समितिकी रपॉर्ट के अनुसार रियल एस्टेट, खनन, औषधीय, तंबाकू, फ़िल्म तथा टेलीविज़न कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जहाँ काले धन की अधिकता पाई जाती है। रपॉर्ट में ज़ोर देते हुए कहा गया है कि भारत के पास काले धन का अनुमान लगाने के लिये कोई भी सटीक और वशि्वसनीय पद्धति नहीं है।
- काले धन को मापने के लिये निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है वे मान्यताओं पर आधारित होती हैं और भारत में अभी तक इस संदर्भ में कार्यरत सभी एजेंसियों की मान्यताओं में एकरूपता नहीं आ पाई है।

प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख वधियाँ:

भारत में काले धन को मापने की दो प्रमुख वधियाँ वदियमान हैं:

■ मौद्रिक वधि:

यह वधि भारत में काले धन को मापने की सबसे लोकप्रिय वधि है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि काले धन की उपलब्धता तथा उसमें आने वाला परिवर्तन, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा के प्रवाह और भंडारण को प्रतिबिंबित या प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस वधि के अंतर्गत काले धन को मापने के लिये अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह पर नज़र रखना आवश्यक है।

■ इनपुट आधारित वधि:

इस वधि के अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कतिना पैसा जनरेट किया जाना चाहिये था और असल में कतिना हुआ है। इन्हीं दोनों के अंतर को काला धन कहा जाता है। उदाहरण के लिये सबसे पहले एक शहर में निरिमिति सभी घरों की गणना करें और यह अनुमान लगाएँ कि

इन सभी के निर्माण में कतिने सीमेंट की आवश्यकता होगी, इसके बाद यह जाँच करें ककिर रकिॉर्ड के अनुसार शहर में कतिना सीमेंट बेचा गया है। यदि इन दोनों के मध्य अंतर आता है तो इसका अर्थ है कि कुछ धन कर अधिकारियों से छुपाया गया है और वह काला धन है।

काले धन पर अंकुश लगाने के सरकारी प्रयास:

■ वधियायी कार्यवाही:

सरकार ने पहले ही इस संदर्भ में कई कानून बनाए हैं जो अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने और आर्थिक लेन-देन की सूचना देने को अनिवार्य बनाते हैं। इसमें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, काला धन (अधोषति वदिशी आय और संपत्ति) तथा कर आरोपण अधिनियम 2015, बेनामी लेन-देन (नषिध) संशोधन अधिनियम, एवं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, आदि शामिल हैं।

■ पैन रपिर्टिंग को अनिवार्य बनाना:

सरकार ने 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन के लिये पैन (PAN) को अनिवार्य बना दिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कर अधिकारियों से छुपाए जाने वाले लेन-देन को नयितरति करना है।

■ आयकर वभिग की कार्यवाही:

आयकर वभिग ने भी ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो एक वत्तितीय वर्ष में उच्च मूल्य के आर्थिक लेन-देन तो करते हैं, परंतु अपना रटिर्न दाखलि नहीं करते हैं।

काला धन अर्थव्यवस्था के लिये कसि प्रकार घातक है:

- अर्थव्यवस्था में काले धन की अधिकिता से देश में एक 'समानांतर अर्थव्यवस्था' (Parallel economy) सृजति हो जाती है जिसकी पहचान एवं नयिमन अत्यंत मुश्कलि होता है। इस प्रकार यह समानांतर अर्थव्यवस्था देश के आर्थिक वकिस को चौपट कर देती है।
- काला धन भूमगित अर्थव्यवस्था सृजति करता है जिससे राष्ट्रीय आय एवं GDP से संबंधति आँकड़ों का सही आकलन कर पाना मुश्कलि हो जाता है और अर्थव्यवस्था की गलत तस्वीर प्रस्तुत होती है। इससे नीति निर्माण में सटीकता नहीं आ पाती है।
- काले धन के सृजन के दौरान कर वंचना (Tax Evasion) होती है जिससे सरकार को राजस्व हानि होती है। परिणामस्वरूप सरकार को उच्च करारोपण एवं 'घाटे का वत्तिपोषण' (deficit financing) का सहारा लेना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।
- काले धन का खर्च मनोरंजन, वलिसति, भ्रष्टाचार, चुनावों के वत्ति पोषण, सट्टेबाजी अथवा आपराधिक गतिविधियों में कयिा जाता है जिससे एक तरफ अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ उपयोग पैटर्न बगिड़ने से दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय होता है।

आगे की राह:

- आयकर वभिग को आय के एक नश्चिति प्रतशित के रूप में व्यय की सीमा भी नरिधारति करनी चाहयि ताकि इससे अधिक व्यय करने पर वह स्वयमेव जाँच के दायरे में आ जाए।
- शकिषण संस्थाओं की कैपटिशन फीस पर नज़र रखनी चाहयि। धर्मारथ संस्थाओं के लिये वार्षकि रटिर्न अनिवार्य बनाना, इन संस्थाओं का पंजीकरण एवं वभिनिन एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहयि।
- एक मज़बूत रयिल एस्टेट कानून बनाकर इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले काले धन पर रोक लगाई जा सकती है। (सरकार ने एक मज़बूत रयिल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारति कर दिया है।)
- चुनावों में काले धन का प्रयोग रोकने के लिये व्यापक कार्य योजना बनानी चाहयि क्योंकि यहाँ काला धन खपाना काफी आसान है जो काला धन के सृजन को प्रेरति करता है। राजनीतिक दलों को 'सूचना का अधिकार' (RTI) के दायरे में लाना चाहयि एवं इनके बही-खातों की नयिमति ऑडिटिंग करनी चाहयि।
- हवाला करोबार पर अंकुश लगाना चाहयि।
- आयकर वभिग के अधिकारों एवं स्वायत्तता में वृद्धि की जानी चाहयि।

यद्यपि वर्तमान में सरकार काला धन अधिनियम, बेनामी लेनदेन (संशोधन) अधिनियम, आय घोषणा योजना, वमिद्रीकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कदमों के माध्यम से काला धन सृजन रोकने के प्रयास कर रही है, फरि भी उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देकर इन प्रयासों को और गति दी जा सकती है।

स्रोत: द हद्दि

